

विधान सभा सचिवालय मध्यप्रदेश

//शुद्धि पत्र//

दिनांक 03.03.2023 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढ़ा जावे।

भाग-2 नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	मुद्रित पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
परि.अता.प्र.सं. 4 (क्र.64) प्र.(ख)	20	पुनरक्षित प्रशासकीय	पुनरीक्षित प्रशासकीय
परि.अता.प्र.सं. 06 (क्र.198) प्र.(ख)	21	अपैल 2015	अप्रैल 2015
परि.अता.प्र.सं. 19 (क्र.704) प्र.(ख)	28	प्रवल संभावना	प्रबल संभावना
--- " --- प्र.(ग)	- "-	फाल्ट होन	फाल्ट होने
परि.अता.प्र.सं. 20 (क्र.718) प्र.(ख)	30	जवाब दारों पर	जवाब दारों पर
परि.अता.प्र.सं. 67 (क्र.1237) प्र.(घ)	64	जावेगी? (ग) यदि	जावेगी? (घ) यदि
परि.अता.प्र.सं. 84 (क्र. 1291) उ.(क)	74	जिसमें पृथम	जिसमें प्रथम
परि.अता.प्र.सं. 109 (क्र.1486) उ.(ख)	92	90 प्रतशित	90 प्रतिशत

भाग-3 अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	मुद्रित पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
अता.प्र.सं. 48 (क्र.1088) प्र.(ग)	136	सीमेंट से प्लस्टर किया	सीमेंट से प्लास्टर किया

स्थान: विधानसभा भवन
भोपाल
दिनांक: 02 मार्च, 2023

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा